

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./पार्ट-1/2018/

दिनांक:-

—:आदेश:—

निम्नलिखित नर्सिंगकर्मों जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	संतलाल वर्मा	नर्स प्रथम	अलवर	19.08.1958	26.02.1983	31.08.2018
2.	मानसिंह राठौड़	नर्स प्रथम	अलवर	14.08.1958	04.07.1981	31.08.2018
3.	राजेन्द्र कुमार जैमनी	नर्स प्रथम	दौसा	15.08.1958	23.07.1983	31.08.2018
4.	मगदान रतनू	नर्स प्रथम	जोधपुर	10.09.1958	27.01.1983	30.09.2018
5.	अम्बिका के.	नर्स प्रथम	चित्तोड़गढ़	06.11.1958	05.06.1979	30.11.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कर्मियों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

- sd -

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक: 31/05/18

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./पार्ट-1/2018/307

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (ईएसआई योजना), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
4. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय।
5. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी., मुख्यालय।
6. निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई।
7. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
8. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
9. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
10. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
11. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
12. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करे।
13. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर